**संख्या-92/2019/2304 ई-2/तेरह-2019-55/2017**

प्रेषक

**आलोक कुमार द्विवेदी**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 27 नवम्बर, 2019

विषयः जनपद लखनऊ के होटल/रेस्टोरेन्ट को बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-3430/जि.आ.अधि./बार अनुज्ञापन/2019-20/लखनऊ, दिनांक 22.10.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 10.10.20119 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति एवं इसी सन्दर्भ में आबकारी आयुक्त, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-155/दस-लाइसेंस-01/एफ.एल.-6,7/बारबेक्यू नेशन, फिनिक्स/बार अनु./लखनऊ, दिनांक 11.11.2019 में की गयी संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त **बारबेक्यू नेशन हास्पिटैलिटी लिमटेड, स्थित फिनिक्स मॉल, तृतीय तल टी.-15-16ए, आलमबाग, लखनऊ** को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उनके प्रतिष्ठान में आने वाले आगुन्तकों के वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा, पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा तथा आगन्तुकों की सुरक्षा के दृष्टिगत रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा प्रवेश/निकास की समुचित व्यवस्था की जाएगी। अग्शिमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में होंगे व अग्निशमन विभाग की अनापत्ति जिन शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है, का इकाई द्वारा पूर्णरूप से अनुपालन किया जायेगा। इकाई द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं सुरक्षा कर्मियों की समुचित/ पर्याप्त व्यवस्था तथा प्रवेश द्वार पर डी.एफ.एम.डी.(डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) की व्यवस्था की जायेगी।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(आलोक कुमार द्विवेदी)**
अनु सचिव।

संख्या-92/2019/2304(1) ई-2/तेरह-2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-जी-155/दस-लाइसेंस-01/एफ.एल.-6,7/बारबेक्यू नेशन, फिनिक्स/बार अनु./लखनऊ, दिनांक 11.11.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

**(आलोक कुमार द्विवेदी)**
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in